online 2019/00418 प्रार्थनापत्र offline 256/2019

रामेश्वर v/s सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
20/2/23	पत्रावली पेश हुई। आज स्थानीय बार एसोसियेशन का कार्य स्थगन किया हुआ है। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशासनिक कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 24/4/23 को पेश हो। आज्ञा से रीडर	
24/4/23	[illegible]ावली पेश हुयी। राजस्व मंत्रालयिक कार्मिक [illegible]ताल पर होने से एवं पीठासीन अधिकारी [illegible]शासन गांवो के संग अभियान वर्ष 2023 [illegible]हगाई राहत केम्प [illegible]... में होने से पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 7/6/23 को पेश हो। आज्ञा से रीडर	
7/6/23	[illegible]ली पेश हुयी। पीठासीन अधिकारी [illegible]सन गांवो के संग अभियान वर्ष 2023 [illegible]गाई राहत केम्प [illegible]..... में होने से पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 26.7.23 को पेश हो। आज्ञा से रीडर	
26/7/23	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थीगण उप. विपक्षी सं. 01 अनुपस्थित [illegible] के हेतु [illegible] सुनवाई हेतु दिनांक 20/9/2023 को पेश हो।	
20/9/23	पत्रावली पेश हुयी प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित, विपक्षीगण अनुपस्थित, बहस सुनी गई [illegible] तरमीम कार्यवाही का आदेश दिये गये [illegible] प्रार्थीगण [illegible] 09-R-09 [illegible] 17 [illegible] प्रार्थीगण का [illegible] स्वीकार किया जाता है [illegible] पत्रावली [illegible] दाखिल दफ्तर को।	

उपखण्ड अधिकारी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी—विनोद कुमार आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
256 / 2019	02.12.2019	20.9.2023

उनवान

1. श्री रामेश्वर पुत्र छोगा बलाई निवासी हलेड तहसील व जिला भीलवाडा।
2. श्री कन्हैयालाल पुत्र छोगा बलाई निवासी हलेड तहसील व जिला भीलवाडा।
3. श्रीमति कंकू पुत्री छोगा बलाई निवासी हलेड तहसील व जिला भीलवाडा।
4. श्रीमति लक्ष्मी पुत्री छोगा बलाई निवासी हलेड तहसील व जिला भीलवाडा।
5. श्रीमति लादी पत्नि छोगा बलाई निवासी हलेड तहसील व जिला भीलवाडा।

— प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री रामचन्द्र पुत्र मांग्या बलाई निवासी हलेड तहसील व जिला भीलवाडा।
2. मु0 घीसी बेवा उदा बलाई निवासी हलेड तहसील व जिला भीलवाडा(फौत)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

— विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 जा0दी0 व धारा 151 जा0दी0

उपस्थितः—

1. श्री मांगीलाल सैन अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. विपक्षीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 जा0दी0 व धारा 151 जा0दी0 बाबत प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिया जाने का आवेदन प्रस्तुत कर सादर निवेदन किया है कि उक्त प्रकरण में दिनांक 19.7.2019 को पत्रावली वास्ते प्रतिवादीगण की तलबी हेतु नियत थी। वादीगण के अधिवक्ता द्वारा वादीगण को हिदायत दी गई कि पत्रावली जब भी आवश्यकता होगी बुलवां लुंगा, इसलिए वादीगण न्यायालय में हाजिर नही हो पाये व वादीगण के अधिवक्ता भी अन्य न्यायालय में व्यस्त होने की वजह से वक्त सुनवाई न्यायालय में हाजिर नही हो पाने से प्रकरण अदम हाजरी एंव अदम पैरवी में खारिज फरमाया गया, जिससे वादपत्र को पुनः नम्बर पर लिया जाने हेतु आवेदन पेश है। न्यायालय में वादीगण एवं वादीगण के अधिवक्ता अनुपस्थित रहने का कारण वाजिब व युक्ति है, यदि वादपत्र को पुनः नम्बर पर नही लिया गया तो वादीगण को काफी नुकसान होगा एवं वादीगण न्याय से वंचित हो जायेंगे। प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि में प्रस्तुत नही किया है जिसके लिए दफा 05 कानून मियाद अधिनियम का आवेदन अलग से प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 जा0दी0 व धारा 151 जा0दी0 का स्वीकार फरमाया जाकर उनवान रामेश्वर बनाम रामचन्द्र प्रकरण संख्या 140 / 2014 राजस्व वाद को पुनः नम्बर पर लिये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को सम्मन / नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगण संख्या 01 व 03 बावजूद तामील के अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

हमने वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुओ को दौहराते हुए निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में दिनांक 19.7.2019 को पत्रावली वास्ते प्रतिवादीगण की तलबी हेतु नियत थी। वादीगण के अधिवक्ता द्वारा वादीगण को हिदायत दी गई कि पत्रावली जब भी आवश्यकता होगी बुलवां लुंगा, इसलिए वादीगण न्यायालय में हाजिर नही हो पाये व वादीगण के अधिवक्ता भी अन्य न्यायालय में व्यस्त होने की वजह से वक्त सुनवाई न्यायालय में हाजिर नही हो पाने से प्रकरण अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया, वादीगण एवं वादीगण के अधिवक्ता अनुपस्थित रहने का कारण वाजिब व युक्ति है, यदि वादपत्र को पुनः नम्बर पर

नही लिया गया तो वादीगण को काफी नुकसान होगा एवं वादीगण न्याय से वंचित हो जायेंगे। प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि में प्रस्तुत नही किया है।

प्रार्थीगण ने धारा 05 कानून मियाद अधिनियम का आवेदन अलग से प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत किया गया है विलम्ब के समय को कण्डोन फरमाते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मूल वाद पुनः नम्बर पर लिये जाने की प्रार्थना की गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, वकील प्रार्थीगण की एक तरफा बहस पर मनन् किया गया। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 जा0दी0 व धारा 151 जा0दी0 का स्वीकार योग्य ठहरता है, अतः एंव

:: आदेश ::

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 जा0दी0 व धारा 151 जा0दी0 में विलम्ब के समय को कण्डोन करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। मूल वाद प्रकरण संख्या 140/2014 में पारित निर्णय दिनांक 19.07.2019 को अपास्त किया जाकर मूल वाद प्रकरण संख्या 140/2014 को पुनः नम्बर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली निर्णित शुम्मार होकर मूलवाद पत्रावली में संलग्न किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा